न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, टोडारायसिंह

बइजलास श्री शिवराज मीणा आर0 ए0 एस0 उपखण्ड अधिकारी

पि0 नं0 221/2022

ता0 रजू 21.09.2022

उनवान

1. बंशीलाल पि0 सुवालाल जाति ब्राह्मण निवासी खरेड़ा तहसील टोड़ारायसिंह।
2. बाबूलाल पि0 सुवालाल जाति ब्राह्मण निवासी खरेड़ा तहसील टोड़ारायसिंह।
3. भंवरलाल पि0 सुवालाल जाति ब्राह्मण निवासी खरेड़ा तहसील टोड़ारायसिंह।

बनाम

1. कालू पि0 कान्हा जाति ब्राह्मण निवासी खरेड़ा तहसील टोड़ारायसिंह।
2. रामबिलास पि0 कान्हा जाति ब्राह्मण निवासी खरेड़ा तहसील टोड़ारायसिंह।
3. रमेशचन्द पुत्र रामकरण जाति ब्राह्मण निवासी खरेड़ा तहसील टोड़ारायसिंह।
4. रामनरेश पुत्र भैरू जाति ब्राह्मण निवासी खरेड़ा तहसील टोड़ारायसिंह।
5. सायर पत्नी भैरू जाति ब्राह्मण निवासी खरेड़ा तहसील टोड़ारायसिंह।
6. शाखा प्रबन्धक यूको बैंक शाखा टोंक।
7. शाखा प्रबन्धक एचडीएफसी बैंक लि0 शाखा निवाई।
8. शाखा प्रबन्धक बडौदा राजस्थान क्षैत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा खरेड़ा।
9. शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बडौदा शाखा टोड़ारायसिंह।
10. शाखा प्रबन्धक एसबीआई शाखा टोड़ारायसिंह।
11. तहसीलदार/लैण्ड होल्डर तहसील टोडारायसिंह।

—प्रतिवादीगण—

दावा घोषणा व इन्द्राज दुरूस्ती व
स्थायी निषेधाज्ञा

आदेश

दिनांकः—04.04.2024

वाद वादीगण का मुख्य रूप से कथन हैं कि वादीगण व प्रतिवादीगण के पूर्वज एक ही होने व आराजियात पास पास होने के कारण वादीगण के कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी खसरा नं0 1652/1 रकबा 0.56 है0 व खसरा नं0 2354 रकबा 0.56 है0 तथा प्रतिवादीगण की खातेदारी में दर्ज खसरा नं0 1650 रकबा 0.44 है0 व 2353 रकबा 0.69 है0 वाके ग्राम खरेड़ा में समीप स्थित होने व उक्त आराजियात का साविक खसरा नं0 1440 मिन व खसरा नं0 308 मिन काफी बड़ा रकबा होने के कारण वादीगण को प्रदान किया गया। रकबा खसरा नं0 1652/1 रकबा 0.56 है0, 2354 रकबा 0.56 है0 जो वादीगण की खातेदारी में दर्ज की गई हैं। जिस पर कब्जा काश्त वादीगण का न होकर प्रतिवादीगण का बहिस्सा बराबर कब्जा काश्त हैं। तथा प्रतिवादीगण के खसरा नं0 1650 रकबा 0.44 है0 व खसरा नं0 2353 रकबा 0.69 है0 जो प्रतिवादीगण की खातेदारी में दर्ज हैं। जिस पर कब्जा काश्त प्रतिवादीगण का न होकर वादीगण का बहिस्सा बराबर कब्जा काश्त हैं। एवं उक्तानुसार ही वादीगण व प्रतिवादीगण आराजीयात मुतनाजा को काश्त कर रहे हैं। वादीगण व प्रतिवादीगण के पूर्वज एक ही होनें तथा साविक खसरा नं0 वादीगण व प्रतिवादीगण का एक ही मिन नम्बर होने के बावजूद भी सेटलमेंट अधिकारियों ने वादीगण व प्रतिवादीगण का मौके पर काबिज काश्त के अनुसार खातेदारी प्रदान न कर वादीगण के काबिज काश्त के स्थान पर खसरा नं0 1650 व खसरा नं0 2353 की खातेदारी प्रतिवादीगण की खातेदारी में दर्ज कर दी व प्रतिवादीगण क काबिज स्थान पर खसरा नं0 1652/1 व 2354 की खातेदारी वादीगण को प्रदान कर दी जो गलत व अवैधानिक हैं। सेटलमेंट अधिकारियों को वादीगण व प्रतिवादीगण को काबिज स्थान पर हीं खातेदारी अधिकार प्रदान करना चाहिए था।

वादीगण ने प्रतिवदीगण को काबिज काश्त के आधार पर खातेदारी दुरूस्त करवायें जाने हेतु कहां तो इनकार कर दिया जिस पर यह वाद पेश करना आवश्

Signature Not Verified
Digitally signed by Shiv Raj Meena
Date: 2024.05.29 15:54:55 IST
Reason: SelfAttested

अतः दावा वादीगण डिक्री फरमायी जाकर आराजी खसरा नं0 1652/1 रकबा 0.56 है0 व खसरा नं0 2354 रकबा 0.56 है0 वाके ग्राम खरेड़ा वादीगण की खातेदारी से हटायी जाकर प्रतिवादीगण के नाम बहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में दर्ज फरमायी जावें। तथा प्रतिवादीगण के नाम दर्ज खसरा नं0 1650 रकबा 0.44 है0 व खसरा नं0 2353 रकबा 0.69 है0 वाके ग्राम खरेड़ा प्रतिवादीगण की खातेदारी से हटायी जाकर वादीगण के नाम बहिस्सा बराबर रिकार्ड राजस्व में दर्ज फरमायी जावें। तदनुसार घोषणा दुरूस्ती फरमायी जावें।

Scanned with OKEN Scanner

वाद वादीगण पेश होने पर तलबी प्रतिवादीगण की गयी। जिस पर प्रतिवादी संख्या 6 ल0 11 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं आयें इसलिए उनके विरूद्ध कार्यवाही एक तरफा अमल में लायी गयी। तथा प्रतिवादी नं0 4, 5 की और इकबालिया जवाब दावा पेश हुआ जिसे शामिल पत्रावली कराया गया। एवं वादीगण व प्रतिवादीगण नं0 1 ल0 5 का राजीनामा पेश हुआ जिसें वाद तस्दीक शामिल कराया गया।

वादीगण ने वाद पत्र के समर्थन में नकल ग्राम खरेड़ा की जमाबंदी सम्वत् 2073–2076 खाता संख्या 546 प्रदर्श–1, खाता संख्या 396 प्रदर्श 2, मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श 3, जमाबंदी खाता संख्या 479 सम्वत् 2032–2035 वाके ग्राम खरेड़ा पर प्रदर्श 4, नकल नक्शा सीट बन्दोबस्त सन् 1987 प्रदर्श 5, प्रदर्श 6, प्रदर्श 7, पेश कियें तथा बयानात वादी बंशीलाल, गवाह घासी लाल वैष्णव, गवाह भंवरलाल जाट के करवाये जाकर शामिल करवायें गयें।

बहस अभिभाषक उपभयपक्ष सुनी गई। वो मुख्य रूप से वादपत्र एवं जवाब तथा राजीनामें के अनुसार रहीं। तथा अभिभाषक उभयपक्ष ने निवेदन किया कि दावा वादीगण मुताबिक राजीनाम डिक्री फरमा दिया जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। बहस पर मनन किया। आराजी खसरा नं0 1650 रकबा 0.44 है0 खसरा नं0 2353 रकबा 0.69 है0 वाके ग्राम खरेड़ा मुताबिक जमाबंदी खतौनी संख्या 546, सम्वत् 2073–2076 प्रदर्श 1 के अनुसार प्रतिवादीगण नं0 1 ल0 5 के नाम दर्ज रिकार्ड हैं। तथा आराजी खसरा नं0 1652/1 रकबा 0.56 है0, खसरा नं0 2354 रकबा 0.56 है0 मुताबिक जामाबंदी सम्वत् 2073–2076 खाता संख्या 396 वाके ग्राम खरेड़ा प्रदर्श 2 के अनुसार वादीगण के नाम दर्ज हैं। उक्त वादग्रस्त आराजियात साबिक जमाबंदी सम्वत् 2032–2035 खतौनी संख्या 479 वाके ग्राम खरेड़ा प्रदर्श 4 के अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण के पूर्वज सुवा, प्रहलाद पि0 हरनाथा के नाम दर्ज हैं। इससे जाहिर हैं कि वादीगण व प्रतिवादीगण का एक हीं पूर्वज था। राजीनामा में स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया हैं कि आराजी खसरा नं0 1652/1 रकबा 0.56 है0 व 2354 रकबा 0.56 है0 वाकें ग्राम खरेड़ा वादीगण की खातेदारी में दर्ज की गई हैं। जिस पर कब्जा वादीगण का न होकर प्रतिवादीगण का बहिस्सा बराबर कब्जा काश्त हैं। तथा खसरा नं0 1650 रकबा 0.44 है0 व खसरा नं0 2353 रकबा 0.69 है0 प्रतिवादीगण की खातेदारी में दर्ज हैं। जिस पर कब्जा काश्त प्रतिवादीगण का न होकर वादीगण का बहिस्सा बराबर कब्जा काश्त हैं। व उक्तानुसार ही वादीगण व प्रतिवादीगण आराजी मुतनाजा पर मौके पर काब्जि होकर काश्त कर रहे हैं। इसलिए वादीगण की खातेदारी में दर्ज आराजी खसरा नं0 1652/1 रकबा 0.56 है0, 2354 रकबा 0.56 है0 वाके ग्राम खरेड़ा वादीगण की खातेदारी से हटायी जाकर प्रतिवादीगण के नाम बहिस्सा बराबर रिकार्ड राजस्व के अनुसार प्रतिवादीगण के नाम लगायी जावें। तथा प्रतिवादीगण के नाम दर्ज खसरा नं0 1650 रकबा 0.44 है0 व खसरा नं0 2353 रकबा 0.69 है0 वाके ग्राम खरेड़ा प्रतिवादीगण की खातेदारी से हटायी जाकर वादीगण के नाम बहिस्सा रिकार्ड राजस्व दर्ज फरमायी जावें। इस आशय की घोषणा की जाकर इन्द्राज दुरूस्ती की जावें। अतः दावा मुताबिक राजीनाम डिक्री फरमायी जावें। चुकि पक्षकारान, वादीगण एवं प्रतिवादीगण एक परिवार के सदस्य हैं। इकबालिया जवाब दावा भी पेश किया हैं। तथा दावा वादीगण मुताबिक राजीनामा के डिक्री चाहते हैं।

अतः दावा वादीगण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाकर आराजी खसरा नं0 1652/1 रकबा 0.56 है0, 2354 रकबा 0.56 है0 वाके ग्राम खरेड़ा को वादीगण की खातेदारी से हटायी जाकर प्रतिवादीगण को बहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड के अनुसार के खातेदार काश्तकार घोषित किये जातें हैं। तथा आराजी खसरा नं0 1650 रकबा 0.44 है0, 2353 रकबा 0.69 है0 वाके ग्राम खरेड़ा को प्रतिवादी की खातेदारी से हटायी जाकर वादीगण को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं। तद्नुसार रिकार्ड राजस्व में अमल हेतु पर्चा डिक्री मुर्तीब हो। बैंक ऋण चुकता होने तक बैंक रहन के अंकन बदस्तूर रहेगें। खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करेगें।

आदेश आज दिनांक 04.04.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

04/04/2024

(शिवराज मीणा)
आर0 ए0 एस0
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर/डारायसिंह

Signature Not Verified

Digitally signed by Shiv Raj Meena
Date: 2024.05.29 15:54:55 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner